

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,
डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्रमांक : एफ 5(1.2.29)प्राशिम/सामान्य/2005/5100-5133

दिनांक : 09-10-2007

प्रधानाचार्य,

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर/अलवर/बॉसवाडा/बाड़मेर/भरतपुर/बीकानेर/चित्तौड़गढ़
/खेतानजयपुर/जोधपुर/कोटा/पाली/सवाईमाधोपुर/श्रीगंगानगर/सिरोही/चूरु/नीमराना
/राजसमद/झालावाड़/सीकर/
बिडला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पिलानी/
विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर।

प्रधानाचार्य,

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर/बीकानेर/
जयपुर/सांगानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,

जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर।
सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
एस एन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर।
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा।

प्रधानाचार्य, निम्स कालेज आफ पैरा मेडिकल टेकनोलाजी, निम्स सीटी सेन्टर, 4 गोविन्द मार्ग, जयपुर।

प्रधानाचार्य, इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल टेकनोलाजी एन्ड नर्सिंग एजुकेशन, 10-10ए रीको इंडस्ट्रीयल ऐरिया,
महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के पास, सीता पुरा, जयपुर।

विषय : परीक्षा कार्यों के लिये संशोधित पारिश्रमिक भुगतान की दरों के संबंध में।

संदर्भ : विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर का
पत्रांक एफ 13(24)त0शि0(शिक्षा-5)/78 पार्ट दिनांक 13/18-07-07 व दिनांक
03-10-2007

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा कार्यों के लिये पारिश्रमिक भुगतान की दरों में संशोधन किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

क्र सं	मद का नाम	संशोधित पारिश्रमिक भुगतान की दर
1	पेपर सेटर	रु. 300/- प्रति पेपर सेटिंग रु. 75/- अनुवाद के लिए अतिरिक्त
2	थ्योरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु परीक्षक	रु. 4.50 प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम रु. 150/- प्रति विषय)
3	परीक्षा केन्द्र अधीक्षक	रु. 45/- प्रति परीक्षा काल
4	अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक	रु. 30/- प्रति परीक्षा काल
5	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त विक्षक के लिए	रु. 22.50 प्रति परीक्षा काल प्रति विक्षक
6	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी	रु. 18/- प्रति लिपिक प्रति परीक्षा काल
7	परीक्षा कार्य में नियुक्त च.श्रे.कर्म.	रु. 12/- प्रति परीक्षा काल (4 घंटे के लिये)
8	प्रायोगिक एवं वाईवा वासी परीक्षा	रु. 4.50 प्रति छात्र (न्यूनतम रु. 150/- प्रत्येक परीक्षक को)

9	प्रश्न पत्रों के अनुसूचीमनकर्ताओं के लिए	रु. 22.50 प्रति प्रश्न पत्र (न्यूनतम रु. 112.50)
10	प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रश्न पत्र निर्माताओं के लिए	रु. 127.50 प्रति पेपर सेटिंग (बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक को)
11	प्रोजेक्ट कार्य की परीक्षा के लिए	रु. 15/- प्रति छात्र (न्यूनतम रु. 120/- प्रत्येक परीक्षक को)
12	अंकतालिका के लेखकों के लिए	रु. 37.50 प्रति 100 अंकतालिका
13	डिप्लोमा प्रमाणपत्र लेखक को	रु. 52.50 प्रति 100 डिप्लोमा प्रमाणपत्र
14	अंकतालिका/डिप्लोमा प्रमाण पत्र लेखन की जांच	रु. 22.50 प्रति 100 डिप्लोमा प्रमाण पत्र/अंकतालिका की जांच हेतु
15	डिमोस्ट्रेटर/इंस्ट्रक्टर जो प्रायोगिक परीक्षा में सहायक होते हैं	रु. 24/- प्रति सहायक
क्र सं	म्द का नाम	संशोधित पारिश्रमिक भुगतान की दर
16	मंडल स्तर पर (प्रायोगिक) प्रश्न पत्रों निर्माताओं को	रु. 150/- प्रति पेपर सेटिंग
17	परीक्षा परिणाम सारणीकरण के जांचकर्ताओं को	
	17.1 मुख्य परीक्षा	रु. 60/- प्रति 100 छात्र प्रति जोडा
	17.2 पूरक परीक्षा	रु. 60/- प्रति 100 छात्र प्रति जोडा
18	टेक्नीशियन	रु. 18/- प्रति परीक्षा काल
19	लैब अटेन्डेन्ट	रु. 12/- प्रति परीक्षा काल
20	मूल रोल नम्बरो को काल्पनिक रोल नम्बरो में तथा काल्पनिक रोल नम्बरो को पुनः मूल रोल नम्बरो में परिवर्तन	1. रु. 300/- मुख्य गोपनीय अधिकारी 2. रु. 30/- प्रति 100 उत्तर पुस्तिकाओं के लिए लिपिकों 3. रु. 12/- प्रति दिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिये
21	सारणीकर्ता	रु. 225/- प्रति 100 छात्र परीक्षा मुख्य एवं पूरक परीक्षा हेतु
22	जांचकर्ता	रु. 60/- प्रति 100 उत्तर पुस्तिका
23	स्थानीय बाह्य परीक्षकों को कन्वेन्स अलाउंस	रु. 45/- प्रति दिन
24	पारिश्रमिक भुगतान की अधिकतम सीमा	रु 2700/-

उक्त दरें वर्ष 2007-08 से लागू होंगी।

मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के कार्य के लिये संशोधित पारिश्रमिक भुगतान की दरें वित्त (व्यय-1) विभाग, से आई. डी. क्रमांक 1596 दिनांक 30.06.2007 से सहमति के आधार पर विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर पत्रांक: प13(24)त.शि.(शिक्षा-5)/78पार्ट दिनांक 13/18-07-2007 के द्वारा उपरोक्त क्र सं 1 से 20 तक तथा पत्रांक प13(24)त.शि.(शिक्षा-5)/78पार्ट दिनांक 03-10-2007 क्र सं 21 से 24 के द्वारा संशोधन किये गये हैं।

पत्रांक: प13(24)त.शि.(शिक्षा-5)/78पार्ट दिनांक 13/18-07-2007 में क्र सं 5, 6, 10, 14 व 20 में — चिन्हित व गहरे शब्दों को विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्रांक प 13 (24)त.शि.(शिक्षा-5)/78पार्ट दिनांक 03-10-2007 द्वारा संशोधित किये हैं।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 13(24)त0शि0/78 पार्ट दिनांक 13/18-07-07 व 03-10-2007 के क्रम में।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, ई-2 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
4. उप निदेशक (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. उप निदेशक (रजिस्ट्रार) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. उप निदेशक (सामान्य) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. उप निदेशक (सीडीसी) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
8. कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
9. प्रभारी गोपनीय शाखा, परीक्षा शाखा, पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ, विधि शाखा, कम्प्यूटर शाखा, लेखा शाखा, खजांची, भंडार, शीघ्र लिपिक (सचिव महोदय), पुस्तकालय प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव